न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018RAAJu225RTA008 Bhagodevi Vs Parmaaram etc

भागोदेवी पुत्री गुलाबीदेवी पत्नी नथुराम सुथार
निवासी जुनाबास, पुराने बस स्टेण्ड के सामने
पोकरण रोड, रामदेवरा, तहसील पोकरण
जिला जैसलमेर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. परमाराम पुत्र अमोलकराम सुथार, निवासी सिंहडा, तहसील बाप जिला जोधपुर
2. राणाराम पुत्र सांगाराम सुथार, निवासी सिंहडा, तहसील बाप जिला जोधपुर
3. खेतूदेवी पत्नी रामुराम उर्फ रामलाल सुथार, निवासी नानणीआई, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
4. कमलादेवी उर्फ कमुदेवी पत्नी गोपालराम उर्फ गोपुराम सुथार, निवासी नानणीआई, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
5. मीरादेवी पत्नी बगताराम सुथार, निवासी जूनाबास, पुराने बस स्टेण्ड के सामने पोकरण रोड रामदेवरा, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर
6. मांगीलाल पुत्र नारायणराम सुथार, निवासी सिंहडा, तहसील बाप जिला जोधपुर
7. सोनी पत्नी लूणाराम सुथार, निवासी सिंहडा, तहसील बाप जिला जोधपुर
8. रमेश पुत्र लूणाराम सुथार (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सोनी पत्नी लूणाराम सुथार) निवासी सिंहडा, तहसील बाप जिला जोधपुर
9. मोहनीदेवी पत्नी करनाराम विश्नोई, निवासी काकेलाव हाल सिंहडा, तहसील बाप जिला जोधपुर
10. करनाराम पुत्र खींयाराम विश्नोई, निवासी काकेलाव हाल सिंहडा, तहसील बाप जिला जोधपुर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप

----- रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 20 दिसम्बर 2017 राजस्व प्रकरण संख्या 126/2016 परमाराम बनाम गुलाबीदेवी के कायममुकामान आदि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री देवीलाल आर. व्यास, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 11
रेस्पो. संख्या 2 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 15 नवम्बर 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 126/2016 परमाराम बनाम गुलाबीदेवी के कायममुकामान आदि में पारित आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 के खिलाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 19 जनवरी 2018 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष रेस्पो.-प्रार्थी परमाराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 9/3 रकबा 65 बीघा 01 बिस्वा वाके मौजा सिंहडा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप एवं उसके पडौस में पूरब की ओर अप्रार्थीगण गुलाबीदेवी पत्नी सांगाराम व रणाराम पुत्र सांगाराम की खातेदारी के खसरा संख्या 5 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा संख्या 5 के पडौस में अप्रार्थीगण संख्या तीन मांगीलाल पुत्र नारायण की खातेदारी का खसरा संख्या 4 रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा तथा अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 कमशः सोनी पत्नी लूणाराम तथा रमेश पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लूणाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सोनी पत्नी लूणाराम की खातेदारी का खसरा संख्या 4/1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा और उसके दक्षिण में इन्ही अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 की संयुक्त खातेदारी का खसरा संख्या 16 रकबा 47 बीघा 06 बिस्वा और अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 कमशः मोहनीदेवी पत्नी करनाराम व करनाराम पुत्र खींयाराम की खातेदारी का खसरा संख्या 16/1 रकबा 58 बीघा स्थित होना जाहिर किया और प्राथी अपने खातेदारी के खसरा तक आवागमन हेतु उपरोक्त अप्राथीगण की खातेदारी के खसरान की आराजियात में से प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकित विघमान 30 फीट चौडा रास्ता का उपयोग करता आया दिनांक 20 अगस्त 2016 को प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या एक से सात के मध्य मनमुटाव होने के कारण अप्राथीगण के परिवार वालों ने प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग करने देने से मना कर दिया। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार बाप से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार उक्त अप्रार्थीगण के खसरान की आराजियात में से रास्ते के तौर पर प्रयुक्त की जा रही भूमि उपलब्ध विकल्प के अनुसार राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2016 को उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या एक से पांच की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए, अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी, अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर मौका रिपोर्ट पेश हुई, जिसके संबंध में अप्रार्थीगण की ओर से एतराज प्रार्थनापत्र पेश किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त एतराज प्रार्थनापत्र खारिज करते हुए पारित आदेश के खिलाफ अप्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी पेश की गयी, जो निगरानी भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा खारिज कर दी गयी। इसके बाद पुनः उभय पक्षकारान की रजामन्दी के आधार पर दिनांक 19 दिसम्बर 2016 को स्वयं उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौका मुआयना कर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान अप्रार्थी संख्या एक का देहान्त हो गया, अतः प्रार्थी की ओर से आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश कर उसके कायममुकामान की कार्यवाही की गयी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायममुकामान की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये, रजिस्टर्ड एडी सम्मन जारी हो जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या एक के कायममुकामान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये, उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 28 जून 2017 को उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया। अन्ततः दिनांक 20 दिसम्बर 2017 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थी-रेस्पो. का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251-ए स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि रास्ते की मांग हेतु प्रार्थी-रेस्पो. द्वारा जिन पडौसी खसरान का उल्लेख किया है, उनमें खसरा संख्या 4,16, 9/3 व 4/1 से घिरा हुआ खसरा संख्या 11 भी है, किन्तु प्रार्थी-रेस्पो. द्वारा खसरा संख्या 11 में से मांग नहीं की और न ही खसरा संख्या 11 के खातेदार को पक्षकार बनाया है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि गुलाबीदेवी खसरा संख्या 5 की

खातेदार थी जो अपीलाण्ट की मॉ थी। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व गुलाबीदेवी का देहान्त हो चुका था। उसके वारिसान को अभिलेख पर ले लिया गया था। लेकिन रजिस्टर्ड ए.डी. से नोटिस भेजने के बाद **30 दिन की अवधि में** तामील नहीं हुई और 6 सितम्बर **2017 को एकपक्षीय कार्यवाही** कर दी गयी। दिनांक 19 दिसम्बर 2016 को उपखण्ड अधिकारी स्वयं द्वारा मौका मुआयना किया गया। मगर अपीलाण्ट वक्त मुआयना सूचना के अभाव में उपस्थित नहीं हो सकी। स्वयं उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौका मुआयना में दो रास्ते इंगित किये है एक रास्ता 500 मीटर का, एक 260 मीटर का। फिर कैसे कहा जा सकता है कि अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौका रिपोर्ट दिनांक 19 दिसम्बर 2016 पर एतराज किया, जो खारिज कर दिया गया। दिनांक 06 दिसम्बर 2017 को पत्रावली आदेश 6 नियम 17 के प्रार्थनापत्र के जबाब एवं बहस हेतु मुकर्रर थी, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र उसी दिन खारिज किया जाकर मूल प्रार्थनापत्र पर बहस सुन ली गयी और मूल प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है वर्णित करते हुए प्रकरण में पेशी वास्ते आदेश 20 दिसम्बर 2017 मुकर्रर की दी और दिनांक 20 दिसम्बर 2017 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो एकपक्षीय आदेश होने से खारिज किये जाने योग्य है, जो खारिज किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने 2016 आरआरटी 709, 2016 आरआरटी 440 और 2016 आरआरटी 649 की नजीरें उद्धरित की।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या आठ तहसीलदार की ओर से जो जबाब पेश किया गया है, उससे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में अभिलिखित तथ्यों की पुष्टि होती है। अपने जबाब में तहसीलदार द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौके पर प्रस्तावित रास्ता सुखाचार रास्ता के रूप में चलना स्वीकार किया है और उसे निकटतम रास्ता होना भी बताया है। साथ ही जॉच नायब तहसीलदार बाप से करवाई जाकर जबाब के साथ संलग्न पेश की गयी है। अपने जबाब में तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित निवेदन किया है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि उक्त मौका रिपोर्ट के खिलाफ जो एतराज प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, वह खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में भी निगरानी पेश की गयी, जो निगरानी भी खारिज हो गयी। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि 28 जून 2017 की आदेशिका में स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या एक के वारिसान को रेकर्ड पर लेकर तलबी करवाये जाने में सहमति जाहिर की। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अतः अब अपील स्तर पर इस संबंध में किसी प्रकार का आक्षेप लेने की अपीलाण्ट को अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने बताया कि प्रार्थी-रेस्पो. द्वारा याचित रास्ते को दो मौका रिपोर्ट का समर्थन प्राप्त है, दो मौका रिपोर्ट 26 सितम्बर 2016 एवं 19 दिसम्बर 2017 की। प्रथम रिपोर्ट को माननीय राजस्व मण्डल में चुनौती दी गयी, मगर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रथम रिपोर्ट को सही माना जाकर निगरानी खारिज कर दी गयी। इसके बावजूद भी उभयपक्षकारान की सहमति को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका मुआयना किया गया। जिसकी रिपोर्ट अर्थात द्वितीय रिपोर्ट को स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अर्थात उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौका मुआयना कर तैयार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

किया गया है, जिसमें मात्र सुझाव है कि **500 मीटर की दूरी पर वैकल्पिक रास्ता है पर रास्ता कटाणी रास्ता नहीं है।** अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि **रजिस्टर्ड नोटिस 3 जुलाई 2017 को जरिये पोस्टल रसीद संख्या आरआर847892894आई अपीलाण्ट को भेजा गया।** अपीलाण्ट के अलावा अन्य सहखातेदारान ने अपीलाधीन आदेश को कोई चुनौती नहीं दी है, अर्थात उन्होंने अपीलाधीन आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय में भी अपीलाण्ट ने इकतरफा कार्यवाही अपास्त कराये जाने हेतु आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत भी कोई आवेदन नहीं किया है। अतः आदेश विधिसम्मतः है, जिसे यथावत रखते हुए अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

जहॉ तक अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अदालत हाजा अधिवक्ता-रेस्पो. से पूर्णतः सहमत है कि 28 जून 2017 की आदेशिका में स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या एक के वारिसान को रेकर्ड पर लेकर तलबी करवाये जाने में सहमति जाहिर की। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अतः अब अपील स्तर पर इस संबंध में किसी प्रकार का आक्षेप लेने की अपीलाण्ट को अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है।

आलौच्य मामले में प्रार्थी-रेस्पो. द्वारा पास-पडौस के जिन खातेदारान की खातेदारी भूमियों में से होकर चलने वाले सुखचार रास्ते बाबत प्रार्थनापत्र पेश कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-ए के तहत अनुतोष चाहा है, भूमिधारी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार की हैसियत से बतौर अप्रार्थी संख्या आठ प्रकरण में जो प्रार्थनापत्र का जबाब पेश किया गया है, उससे प्रार्थी-रेस्पो. के प्रार्थनापत्र की पुष्टि होती है। इसके अलावा उक्त जबाब के साथ नायब तहसीलदार द्वारा मौका मुआयना कर तैयार की गयी जॉच रिपोर्ट 26 सितम्बर 2016 से भी प्रार्थी-रेस्पो. का पक्ष पुष्ट होता है।

उक्त मौका रिपोर्ट के खिलाफ एतराजात पेश करते हुए अप्रार्थीगण की ओर से दुबारा मौका रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2016 को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के खिलाफ अप्रार्थीगण गुलाबीदेवी आदि द्वारा माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी संख्या 8015/2016 माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 25 अप्रेल 2017 को खारिज की जा चुकी है।

इसके अलावा अप्रार्थीगण की ओर से माननीय मण्डल के समक्ष एक अन्य निगरानी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश एक नियम 10 सीपीसी बाबत पारित आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2016 के खिलाफ भी पेश की गयी, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह मानते हुए कि अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रास्ते का प्रकरण अनिर्णीत रखने की नीयत से न्यायिक प्रकिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या 3324/2017 रानाराम बनाम परमाराम मय हर्जाना संधारण योग्य नहीं मानते हुए दिनांक 15 नवम्बर 2017 खारिज की गयी। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

को 30 दिन की अवधि में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत मूल प्रार्थनापत्र का अंतिम निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये।

अपीलाण्ट द्वारा बहस में बताए गये खसरा संख्या 11 के संबंध में भी नक्शा अवलोकन पश्चात यही निष्कर्ष है कि खसरा संख्या 5 व 11 की एक ही उभयनिष्ट सीमा रेखा है इसलिए रास्ते की दूरी तथा रकबे में कोई फर्क नहीं पडता है। लिहाजा खसरा संख्या 5 में से मांगा गया एवं प्रदत्त रास्ता नियमानुसार ही प्रदत्त है।

माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्देशों की पालना में प्रकियागत नियमसंगत कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले की परिस्थितियों, तथ्यों, माननीय मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी आदि में दिये गये निर्णय व निर्देशों एवं मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए **प्रार्थी-रेस्पो. की खातेदारी की भूमि तक आवागमन हेतु निकटतम दूरी के आधार पर अपीलाधीन आदेश के जरिये जो रास्ता प्रदत्त किया है, उससे अदालत हाजा पूर्णतः सहमत है। इसमें किसी प्रकार की दखलदांजी उचित नहीं है। अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2017 यथावत रखा जाता है।**

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 15/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर